न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :— 16/14

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. मोहनलाल पुत्र श्री सोनी जाति चमार निवासी खोहरी तह0 नगर (मृतक)

1/1 तोतीराम
1/2 पूरन
1/3 कन्नीराम
1/4 बनैसिंह

पिस0 मोहनलाल जाति जाटव नि0 ईदगाह खोहरी तह0 नगर

1/5 केशर पुत्री श्री मोहनलाल पत्नि श्री रामस्वरूप जाति जाटव नि0 गोविन्दपुरा तह0 राजगढ जिला अलवर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. नेतराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति खटीक निवासी ग्राम जहानपुर तह0 रामगढ जिला अलवर

—— अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0

उपस्थित —

श्री दिनेश चन्द गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री मेघसिंह भगौर, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 04/12/2017

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 09.01.2012 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई दिनांक 12.03.2012 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर को पालना हेतु लिखा गया । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग में अपील संख्या 21/2012 उनवानी नेतराम बनाम तोतीराम बगै0 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 23.10.13 को पारित किया जाकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग ने आदेश किया कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर का आदेश दिनांक 12.03.12 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें ।

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी मोहनलाल द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 दी0प्र0सं0 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा संख्या 208/05 उनवानी नेतराम बनाम मोहनलाल दिनांक 12.05.06 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी गई जिसका अंकन भी राजस्व अभिलेख में हो चुका है । उक्त निर्णय डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में अपील संख्या 36/06 प्रस्तुत की जिसको दिनांक 09.12.2011 को निर्णित कर अपील स्वीकार की जाकर निर्णय डिक्री दिनांक 12.05.2006 को निरस्त कर दिये हैं । अतः प्रा0प्रत्र स्वीकार किया जाकर आ0ख0नं0 1188/1.14, 1409/0.90, 1431/0.10, 441/0.11, 1209/0.33 1215/0.29, 148/0.08 बाके ग्राम खोहरी तह0 नगर पर डिक्री दिनांक 12.05.2006 के पूर्व के इन्द्राज यथावत् बहाल करते हुए मोहनलाल (मृतक) के स्थान पर वारिसान प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जावें ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2048–51 में आ0ख0नं0 1188/1.14, 1198/0.39, 1209/0.23, 1215/0.29, 1490/0.90, 1416/0.38, 1431/0.10, 1441/0.11, 1483/0.08 किता 9 रकबा 3. 72 हैक्टे0 पर मोहनलाल वल्द सौनी कौम चमार साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा इं0नं0 1378 डिक्री से नेतराम पुत्र धन्नाराम जाति खटीक सा0 जहानपुर तह0 रामगढ जिला अलवर खातेदार, ख0नं0 1188/1.44, 1409/0.90, 1431/0.10, 1441/0.11, 1209/0.33, 1215/0.29, 1483/0. 08 किता 7 रकबा 2.95 का नोट अंकित है । नकल जमाबंदी सं0 2060–63 के खाता संख्या 259 पर आ0ख0नं0 1184/1.14, 1209/0.33, 1215/0.29 की बावत् – ''नेतराम पुत्र धन्नाराम कौम खटीक सा0 जहानपुर तह0 रामगढ जिला अलवर खातेदार '' दर्ज है तथा खाता संख्या 158 पर आ0ख0नं0 1409/0.90, 1431/0.10, 1441/0.11, 1483/0.08 की बावत् – ''नेतराम पुत्र धन्नाराम कौम खटीक सा0 जहानपुर तह0 रामगढ जिला अलवर खातेदार'' दर्ज है । इस प्रकार राजस्व अभिलेख के उक्त विवेचनानुसार वि0आ0ख0नं0 1188/1.44, 1409/0.90, 1431/0.10, 1441/0.11, 1209/0.33, 1215/0.29, 1483/0.08 किता 7 रकबा 2.95 हैक्टे0 बाके ग्राम खोहरी इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 12.05.06 से अप्रार्थी नेतराम के नाम दर्ज होना साबित होता है ।

नकल निर्णय दिनांक 09.12.11 अपील संख्या 36/06 उनवानी मोहनलाल बगै0 बनाम नेतराम के अनुसार माननीय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.06 निरस्त कर दिये गये हैं । चूँकि निर्णय डिक्री दिनांक 12.05.06 निरस्त हो चुकी है तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 09.12.11 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने बावत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित है कि माननीय राजस्व प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय दिनांक 09.12.2011 यथावत् है तथा न्यायालय की निर्णय डिक्री दिनांक 12.05.06 निरस्त हो चुकी है इसलिए उसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किये गये इन्द्राजात भी निरस्त किये जाने योग्य हैं । अतः आदेश है कि –

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा आ0ख0नं0 1188/1.44, 1409/0.90, 1431/0.10, 1441/0.11, 1209/0.33, 1215/0.29, 1483/0.08 बाके ग्राम खोहरी तह0 नगर पर से हाल इन्द्राज कलमजन कर दिनांक 12.05.06 से पूर्व के इन्द्राज प्रार्थीगण मोहनलाल एवं उसके वारिसान के नाम दर्ज किये जावें । तहसीलदार नगर को पालनार्थ लिखा जावे ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 04/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर